छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

/ /आदेश/ /

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2008

कमांक एफ 8–6/2003/1–5:: राज्य शासन द्वारा दिनॉक 16.11.2004 को छत्तीसगढ भवन, वाहन पात्रता नियम 2004 जारी किया है । वाहन पात्रता नियम 3, 5, 8 एवं नियम 12 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

नियम–3 : भवन में वाहन की पात्रता की सामान्य व्यवस्था –दिल्ली प्रवास पर आए निम्नलिखित अतिथियों के लिए वाहन व्यवस्था भवन द्वारा की जाएगी :–

(क)
1. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल
2. मुख्य मंत्री
3. उप मुख्य मंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश,
4. मंत्री, नेता प्रतिपक्ष,
5. राज्य मंत्री
6. ,उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रमुख लोकायुक्त, लोकायुक्त
7 राज्य निर्वाचन आयुक्त
8. महाधिवक्ता,उप मंत्री
9. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अतिथि

(ख) वेतनमान रुपये 16400–450–20,000 एवं इसके ऊपर के वेतनमान के अधिकारीगण ।

नियम–5 वाहन का प्रकार :–भवन द्वारा अतिथियों/अधिकारियों को केवल एम्बेसडर/ इंडिका या उसी स्तर/प्रकार का वाहन उपलब्ध कराया जावेगा ।

नियम–8 वाहन के उपयोग की दैनिक सीमा– नियम 3 ख में दर्शित अधिकारियों को प्रत्येक दिवस के लिए वाहन 100 कि.मी. के स्थान पर 125 कि.मी. तथा 10 घण्टे के स्थान पर 12 घण्टे तक के लिए ही उपलब्ध होगा । इससे अतिरिक्त (दूरी एवं अवधि के लिए) वाहन के उपयोग का भुगतान अतिथि द्वारा किया जाएगा । भुगतान की दर ट्रांसपोर्टर्स से किए गए अनुबंध में तय की गई दरों के अनुसार होगी ।

निरन्तर...........2

नियम-12 **आयोग/मण्डल के पदाधिकारियों के लिए व्यवस्था** – उपरोक्त नियम 03 में दर्शाए गए अतिथियों/अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न आयोग, निगम व मण्डल के अध्यक्ष (मंत्री दर्जा प्राप्त होने के बावजूद) सदस्य व पदाधिकारियों को वाहन पात्रता अनुसार अग्रिम भुगतान या तुरंत भुगतान पर उपलब्ध करवाया जाएगा । भुगतान की दर भवन के ट्रांसपोर्टरों को दी जाने वाली दरों पर आधारित होगी ।

2/ दिनॉक 16.11.2004 को जारी छत्तीसगढ भवन, वाहन पात्रता नियम 2004 के नियम 3, 5, 8, एवं नियम 12 के स्थान पर अब निम्नानुसार नियम 3, 5, 8 एवं नियम 12 प्रतिस्थापित किया जाता है :-

नियम-3 : **भवन में वाहन की पात्रता की सामान्य व्यवस्था** -दिल्ली प्रवास पर आए निम्नलिखित अतिथियों के लिए वाहन व्यवस्था भवन द्वारा की जाएगी :-

(क)
1. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल
2. मुख्य मंत्री
3. उप मुख्य मंत्री/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/प्रमुख लोक आयुक्त
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
5. मंत्रीगण/नेता प्रतिपक्ष
6. राज्य मंत्री/विधान सभा उपाध्यक्ष,
7. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
8. महाधिवक्ता/उप मंत्री
9. मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राजस्व मंडल/अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, विद्युत मंडल/लोकायुक्त
10. अतिरिक्त मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(ख)
1. संसदीय सचिव
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़,
3. मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़/अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग
4. सदस्य, राजस्व मंडल/सदस्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
5. राज्य के निगम/मंडल/अधिकरण व आयोगों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
6. अध्यक्ष, एवं सदस्य, राज्य मानव अधिकार आयोग,

निरन्तर........3...

7. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अतिथि
8. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संभागीय आयुक्त/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक

(ग) विभागाध्यक्ष/अपर पुलिस महानिदेशक/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय

नियम–5: वाहन का प्रकार –

1. नियम 3 के खण्ड (क) में उल्लेखित अधिकारियों/पदाधिकारियों/महानुभावों को Honda City/ Corrolla/ Lancer /Accent /Icon श्रेणी के वातानुकूलित वाहन दिए जाएंगे
2. नियम 3 के खण्ड (ख) एवं (ग) में उल्लेखित पदाधिकारियों/अधिकारियों को केवल वातानुकूलित कार उपलब्ध कराई जाएगी ।

नियम–8 वाहन के उपयोग की दैनिक सीमा :– नियम 3 (ख) एवं (ग) में दर्शित अधिकारियों को प्रत्येक दिवस के लिए वाहन 125 कि.मी के स्थान पर 200 कि.मी. तथा 12 घंटे के स्थान पर 14 घंटे तक के लिए उपलब्ध होगा । इससे अतिरिक्त वाहन के उपयोग का भुगतान अतिथि द्वारा स्वयं किया जाएगा । भुगतान की दर ट्रांसपोर्टर से किए गए अनुबंध में तय की गई दरों के अनुसार होगी ।

नियम–12 आयोग/मण्डल के पदाधिकारियों के लिए व्यवस्था – उपरोक्त नियम 03 में दर्शाए गए अधिकारियों/पदाधिकारियों में से निगम/मण्डल/आयोग आदि के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के वाहन व्यय के (अग्रिम भुगतान/तुरंत भुगतान की व्यवस्था नहीं रहेगी) भुगतान संबंधी देयक संबंधित निगम/मण्डल/आयोग को भेजा जाएगा, जहां से भुगतान प्राप्त किया जाएगा। किन्तु व्यावसायिक स्वरूप के निगम/मण्डल/आयोग के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के लिए वाहन व्यवस्था **छत्तीसगढ़ भवन द्वारा अग्रिम रूपये 50,000/– छत्तीसगढ़ भवन में जमा कराने पर देय होगी। इस खातों के संधारण हेतु 2 प्रतिशत सर्विस चार्ज निगम/मंडल से देय होगा ।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग